

बिहार सरकार

श्रम संसाधन विभाग

बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति

आदेश

बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना, 2011 के अंतर्गत जिला पदाधिकारी, जमुई के पत्रांक (कॉलम 4 में वर्णित)से दुर्घटना में मृत 06 श्रमिकों के आश्रितों को ₹ 100000/- (एक लाख रूपए) प्रति कामगार की दर से ₹ 600000/- (छः लाख रूपए) एवं 02 श्रमिकों के स्वाभाविक मृत्यु के उपरांत आश्रित को ₹ 30000/- (तीस हजार रूपए) प्रति कामगार की दर से ₹ 60000/- (साठ हजार रूपए) अर्थात् कुल राशि ₹ 660000/- (छः लाख साठ हजार रूपए) मात्र भुगतान हेतु अनुदान की स्वीकृतोपरांत राशि विमुक्ति हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। प्रस्ताव के आलोक में मृतक/दावेदार कामगारों के आश्रितों को स्वीकृत राशि की विमुक्ति का आदेश दिया जाता है। मृतक/दावेदार कामगारों/शिल्पकारों का नाम, उनके आश्रितों का नाम एवं पता तथा बैंक लेखा संख्या निम्नांकित है:-

क्र. सं.	मृतक/दावेदार, पिता/पति का नाम, कोटि	आश्रित का नाम (संबंध)	जिलाधिकारी/श्रम अधीक्षक का पत्रांक/दिनांक	पता	आश्रित का बैंक खाता संख्या	बैंक एवं शाखा का नाम, आई.एफ.एस.सी	स्वीकृत अनुदान की राशि	मृत्यु/निःशक्तता का थौरा, कार्य की प्रकृति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	स्व० संतोष यादव, श्री पुनीत यादव, पि० वर्ग	श्रीमती रीना देवी (पत्नी)	511/28. 09.2018	ग्रा०-केवाल, पो०-गुगुलडीह, था०+प्र०-गिद्धौर, जमुई	340901100 81500	बिहार ग्रामीण बैंक, गिद्धौर, UCBAORRBKKG	₹ 100000/- (एक लाख रूपए)	दुर्घटना मृत्यु, राज मिस्त्री व्यवसाय में कामगार मजदूर
2	स्व० महेन्द्र मंडल, श्री मुनेश्वर मंडल, पि० वर्ग	श्रीमती प्रमिला देवी (पत्नी)	497/16. 09.18	ग्रा०-शोभाखान, पो०-चूआँ, था०+प्र०-खैरा, जमुई	342501100 69702	बिहार ग्रामीण बैंक, मांगोबन्दर UCBAORRBKKG	₹ 100000/- (एक लाख रूपए)	दुर्घटना मृत्यु, राज मिस्त्री के साथ मजदूरी व्यवसाय में कामगार मजदूर
3	स्व० विरेन्द्र प्रसाद यादव, पि० वर्ग	श्रीमती रूदो देवी (पत्नी)	535/20. 10.2018	ग्रा०-मिरचा, पो०-पाठकचक, था०+प्र०-सिकन्दरा, जमुई	340301100 75819	बिहार ग्रामीण बैंक, महादेव सिमरीया, UCBAORRBKKG	₹ 100000/- (एक लाख रूपए)	दुर्घटना मृत्यु, कृषि व्यवसाय में कामगार मजदूर
4	स्व० बंगाली यादव, पि० वर्ग	श्रीमती रेणु देवी (पत्नी)	536/20. 10.2018	ग्रा०+पो०-अगहरा, था०+प्र०-सोनो, जमुई	464410100 006407	बैंक ऑफ इंडिया, अगहरा BKID0004644	₹ 100000/- (एक लाख रूपए)	दुर्घटना मृत्यु, मजदूरी (ड्राइवर के साथ खलासी का कार्य) व्यवसाय में कामगार मजदूर
5	स्व० प्रकाश राम, स्व० भीखन राम, अ० पि० वर्ग	श्रीमती सुनिता देवी (पत्नी)	556/17. 11.2018	ग्रा०-वानाडीह, पो०-सोहजाना, था०+प्र०- गिद्धौर, जमुई	240701000 06600	बैंक ऑफ बड़ौदा, महुली BARBOMAHKHA	₹ 30000/- (तीस हजार रूपए)	स्वाभाविक मृत्यु, कृषि क्षेत्र में मजदूरी व्यवसाय में कामगार मजदूर
6	स्व० दिनेश तौती, श्री हजारी तौती, अनु० जाति	श्रीमती सुनैना देवी (पत्नी)	557/17. 11.2018	ग्रा०-केन्डीह, पो०+ था०+प्र०-खैरा, जमुई	115910802 3506	केनरा बैंक, खैरा, CNRB0001159	₹ 30000/- (तीस हजार रूपए)	स्वाभाविक मृत्यु, राजमिस्त्री के साथ मजदूरी व्यवसाय में कामगार मजदूर
7	स्व० मिनटु कुमार रजक, स्व० सौदागर रजक, अनु० जाति	श्रीमती चमेली देवी (माता)	558/17. 11.2018	ग्रा०+पो०-सेवा, था०+प्र०- गिद्धौर, जमुई	582110110 004219	बैंक ऑफ इंडिया, गिद्धौर, BKID0005821	₹ 100000/- (एक लाख रूपए)	दुर्घटना मृत्यु, ट्रेक्टर चालक व्यवसाय में कामगार मजदूर
8	स्व० हारू यादव, श्री गिरजा यादव, पि० वर्ग	श्रीमती फुल कुमारी देवी (पत्नी)	559/17. 11.2018	ग्रा०+पो०-तेलियाडीह , था०+प्र०-झाझा, जमुई	342101100 44280	बिहार ग्रामीण बैंक, झाझा UCBAORRBKKG	₹ 100000/- (एक लाख रूपए)	दुर्घटना मृत्यु, खेतिहर मजदूर व्यवसाय में कामगार मजदूर

कुल :- ₹ 660000/-

( छः लाख साठ हजार रूपए मात्र )

2. उक्त राशि भारतीय स्टेट बैंक, नियोजन भवन शाखा, पटना में पोषित बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति बचत खाता संख्या 37062727316 से "बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना 2011" के सहायक अनुदान इकाई से विकलनीय होगी।

3. उपरोक्त स्वीकृत राशि (कॉलम नं० 8) का भुगतान RTGS के माध्यम से कॉलम नं० 3 में अंकित आ. के बैंक खाते कॉलम 6 में किया जाएगा।

4. प्रस्ताव में सभापति, कार्यकारिणी समिति, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति-सह-प्रधान सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना का संचिका सं० श्रम क० सं०-30/2018 के पृष्ठ-16/टि० पर अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

(अजय कुमार सिंह)

लिपिक

ह०/-

(डा० गणेश कुमार झा)

मुख्य वित्त पदाधिकारी

ह०/-

(गोपाल मीणा)

कार्यकारी निदेशक

ज्ञाप संख्या :- श्रम क० सं०-30/2018

पटना, दिनांक :-

प्रतिलिपि :- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, नियोजन भवन शाखा, पटना, उपरोक्त आदेश के कॉलम 3 में अंकित आश्रित को उनके नाम के सामने अंकित खाता संख्या में कॉलम नं० 8 में स्वीकृत राशि RTGS के माध्यम से अन्तरित कर सुनिश्चित करेंगे। यदि किसी कारण राशि का अंतरण नहीं हो पाता है तो इसकी सूचना अविलंब मुख्य वित्त पदाधिकारी, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति, नियोजन भवन को देंगे।

ह०/-

(अजय कुमार सिंह)

लिपिक

ह०/-

(डा० गणेश कुमार झा)

मुख्य वित्त पदाधिकारी

ह०/-

(गोपाल मीणा)

कार्यकारी निदेशक

ज्ञाप संख्या :- श्रम क० सं०-30/2018-31

पटना दिनांक - 25-01-19

प्रतिलिपि :- सचिव, बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

उक्त लाभुकों को बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के अंतर्गत संचालित योजना का लाभ नहीं दिया जाए/ लेखा शाखा, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति, बिहार, पटना, श्रम संसाधन विभाग को सूचना प्रेषित। निदेशित है कि उक्त कुल स्वीकृत राशि ₹ 660000/- (छ: लाख साठ हजार रूपए) का बैंक से अंतरण के पत्र लेखा संधारण करना सुनिश्चित करेंगे/श्रम अधीक्षक, जमुई को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित/जिला पदाधिकारी, जमुई को सूचनार्थ प्रेषित/आई०टी० मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग(विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु)को सूचनार्थ प्रेषित/ आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित/ प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, श्रम संसाधन विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।/ माननीय मंत्री आप्त सचिव, श्रम संसाधन विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।

31/01/19

(अजय कुमार सिंह)

लिपिक

25/01/19

(डा० गणेश कुमार झा)

मुख्य वित्त पदाधिकारी

25/01/19

(गोपाल मीणा)

कार्यकारी निदेशक।